प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाएं

सरकार ने पूरे देश की आबादी को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ करवाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरूआत की है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार ने स्वास्थ्य केन्द्रों को सुधारे जाने की योजना बनाई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गांव की जनता तक कारगर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं।

हर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डॉक्टर द्वारा मरीज़ों को देखने की सुविधाएं, दिन में दो बार, कम से कम 4 घंटे सुबह व 2 घंटे शाम को दी जानी चाहिए। इसके अलावा आपातकालीन सुविधाएं जैसे दुर्घटना होने पर या कुत्ता/सांप/बिच्छू काटने पर इलाज की सुविधाएं 24 घंटे दी जानी चाहिए। इलाज के लिए सही जगह भेजे जाने की सुविधा भी 24 घंटे दी जानी चाहिए। भेजे जाने से पहले रोगी का प्राथमिक उपचार किया जाना चाहिए एवं परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।

जिन रोगियों को दाखिले की ज़रूरत है उन्हें फौरन दाखिला दिया जाना चाहिए।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के द्वारा दी जाने वाली सेवा गारंटियां इस प्रकार हैः-

मातृ स्वास्थ्य

- गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण।
- गर्भावस्था के दौरान कम से कम 2 बार जांच, टीटी के दो इंजेक्शन, खून की कमी दूर करने के लिए आयरन की गोलियां।
- 24 घंटे प्रसव की सेवाएं जिसमें सामान्य व चिमटी से प्रसव व अपरा को हाथ से हटाने की सेवाएं शामिल हैं।
- विशेषज्ञ डॉक्टर की ज़रूरत पड़ने पर फौरन सही जगह भेजने का इंतज़ाम।
- प्रसव के बाद स्वास्थ्यकर्मी द्वारा गर्भवती स्त्री के घर दो बार निरीक्षण के लिए जाना।
- जल्द से जल्द स्तनपान, अच्छे खानपान, स्वच्छता व नवजात शिशु की देखभाल पर सलाह देना।

बाल स्वास्थ्य

- पूर्ण टीकाकरण व विटामिन ए की सही खुराक।
- पीलिया, कुपोषण व संक्रमण जैसे रोगों का इलाज।
- बीमार शिशुओं व बच्चों की देखभाल व इलाज।

परिवार नियोजन

- परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाने के लिए सलाह व गर्भ निरोधकों जैसे कंडोम व गर्भ निरोधक गोलियों इत्यादि का इंतज़ाम।
- पुरुष व महिला के लिए स्थायी नसबंदी का इंतज़ाम।
- सुरक्षित गर्भपात के लिए सलाह व सही जगह पर भेजने का इंतज़ाम।

अन्य स्वास्थ्य सेवाएं

- मूत्र, मल और रक्त की जांच, टी बी के लिए थूक की जांच, मलेरिया व यौन संचारित संक्रमणों की जांच के लिए इंतज़ाम।
- मलेरिया, कालाअज़ार, जापानी एन्सेफेलाइटिस जैसे स्थानीय रोगो का इलाज व उन्हें फैलने से रोकने के इंतज़ाम।
- जनन अंगों के संक्रमणों व यौन संचारित संक्रमणों का इलाज व इससे बचने की सलाह।
- केन्द्र में काम कर रहे स्वास्थ्यकर्मियों को गांव के स्तर पर जल के स्रोतों को संक्रमणमुक्त करने का काम करना चाहिए और शौचालयों के इस्तेमाल के साथ-साथ साफ-सफाई को बढ़ावा देना चाहिए।

यह ध्यान देने योग्य है कि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को इन मे से किसी भी सेवा के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ता।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को ठीक से चलाने व जनता के प्रति इनकी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए रोगी कल्याण समिति की स्थापना की जानी चाहिए। पंचायत के लोग, स्वास्थ्य अधिकारी और समुदाय के लोग इस समिति के सदस्य हो सकते हैं। केन्द्र में दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करना व शिकायतों के निपटारे के लिए व्यवस्था तैयार करना इस समिति की ज़िम्मेदारी है।

हर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में ''नागरिकों के स्वास्थ्य अधिकारों के घोषणापत्र'' का प्रदर्शन किया जाना चाहिए, जिसमें केन्द्र के खुलने व बन्द होने का समय, केन्द्र में मिल रही सेवाओं व दवाइयों की जानकारी व शुल्क मुक्त सेवाओं के बारे मे सूचना होनी चाहिए। इसमें साफ शब्दों में लिखा होना चाहिए कि यदि किसी व्यक्ति को सेवा नहीं दी जाती या स्तरीय सेवा नहीं दी जाती तो वह कहां शिकायत कर सकता है और उस शिकायत का निपटारा कैसे होगा। इस घोषणा पत्र के प्रदर्शन की जिम्मेदारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निगरानी व नियोजन समिति की होती है।

हर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को स्थानीय स्वास्थ्य कार्यवाही के लिए सालाना 25,000 रुपए प्राप्त होते हैं। इसके अलावा हर केन्द्र को सालाना 50,000 रुपए का रखरखाव अनुदान प्राप्त होता है। केन्द्र के ढांचे में सुधार एवं रखरखाव के काम करवाने की ज़िम्मेदारी रोगी कल्याण समिति या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर की पंचायत समिति की होती है।

स्रोत – एन.आर.एच.एम. दिशा निर्देश

सेंटर फॉर हेल्थ सोशल जस्टिस (सीएचएसजे)
द्वारा प्रकाशित
बेसमेंट यंग वोमेन हॉटल नं. 2 जी ब्लॉक, साकेत, नई दिल्ली–110017
फोन: 91–11–26511425, 26535203 टेलीफैक्स: 91–11–26536041 ईमेल: chsj@chsj.org वेबसाइट: www.chsj.org

ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच (एआईडीएमएम)
8/1, दूसरी मंज़िल, साउथ पटेल नगर, नई दिल्ली–110008
फोन: 91–11–25842249 फैक्स: 91–11–25842250

कृषक सहयोग संस्थान
पीएचई रोड, वार्ड नं. 15, मकान नं. 373, राहुल नगर, रायसेन, मध्य प्रदेश–464551
फोन: 07482–223131 ईमेल: kssraisen@gediffmail.com

नवंबर, 2012
दृष्टि प्रिन्टर्स, 9810529858, 9810277025

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

बीमारी की जांच, इलाज व सलाह तक
जनता को है अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं पाने का हक

CENTRE FOR HEALTH AND SOCIAL JUSTICE

हमारा अधिकार • हमारी आवाज़
PACS
Our rights • Our voice

STOP VIOLENCE • CRACK IMPUNITY • PROMOTE JUSTICE...
AIDMAM